बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–13/अ0प्र0–08–02/23 2323 350 पटना, दिनांक– 08/5/24

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग के नवसृजित कार्यालय हेतु किराया का मकान लिये जाने के निमित विभागीय अनुमति तथा वाछिंत कागजात के साथ सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–6800 दिनांक–28.11.2023 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के बढ़े हुए कार्यों एवं दायित्वों का ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादन हेतु पूर्व सृजित एवं नवसृजित सभी कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के निमित आवश्यकता आधारित नये एवं अतिरिक्त पदों के सृजन सहित पूर्व स्वीकृति पदों का पुनर्गठन एवं युक्तिकरण किया गया है।

उक्त के आलोक में नवसृजित कार्यालय को किराया के मकान में स्थापित किये जाने के पूर्व विभागीय अनुमति के साथ वांछित कागजात/सुस्पष्ट अनुसंशा उपलब्ध कराने के निमित निम्नवत निदेश अंकित किये जाते हैः–

1. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण–पत्र।
2. उचित किराया प्रमाण–पत्र के रूप में गृह नियंत्रण–सह–अनुमण्डल, पदाधिकारी द्वारा निर्धारण दर की छायाप्रति।
3. कार्यालय भवन का नक्शा।
4. मकान मालिक से किए गए एकरारनामा की प्रति।
5. कार्यालय के व्यवहारार्थ आवश्यकता से अधिक स्थान नहीं लेने का प्रमाण–पत्र।
6. इस आशय का प्रमाण कि कार्यालय के किसी भाग का उपयोग आवास के रूप में नहीं किया जा रहा है।
7. ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित कार्यालय को गैर सरकारी भवन में अवस्थित किये जाने के पूर्व कार्यालय प्रधान (अभियंता) द्वारा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से कोटेशन प्राप्त कर भवन का चयन करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। भवन का चयन करते समय मितव्ययिता का पूरा ध्यान रखा जाय और आवश्यकता के अनुरूप ही भवन का चयन किया जाय। सामान्यतः मंहगे स्थान पर भवन का चयन नहीं किया जाना चाहिए। भवन का चयन किये जाने के पश्चात नवसृजित कार्यालय को किराया के मकान में स्थापित किये जाने के पूर्व विभागीय अनुमति आवश्यक है।

विदित हो कि कार्यालय हेतु गैर सरकारी भवनो को किराया/वर्द्धित किराया स्वीकृति के संबंध में प्रास्ताव उपलब्ध कराने के निमित विभागीय पत्रांक–7462 अनु0 दिनांक–25.04.2012 द्वारा कतिपय निदेश अंकित है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि वर्णित बिंन्दओं के आलोक में आवश्यक कारवाई करते हुए मकान किराया संबंधी सभी कागजात अतिशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु0 यथोक्त

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–08–02/23 2323 पटना, दिनांक–08/5/12

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–13 (बजट) ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक–11/अ0प्र0–6–3/2011 7482 (ए) पटना, दिनांक– 25-4-12

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग ।

प्रेषक,

धर्मदेव चौधरी,
अभियंता प्रमुख ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य अंचल,
कार्य अभियंता, सभी कार्य प्रमण्डल ।

विषय:– कार्यालय हेतु गैर सरकारी भवनों को किराया/बर्द्धित किराया स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय हेतु गैर सरकारी भवनों के किराया/बर्द्धित किराया स्वीकृति हेतु मुख्यतः निम्न कागजातों की मांग किया जाता है:–

1– भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण–पत्र ।
2– उचित किराया प्रमाण–पत्र के रूप में गृह नियंत्रण–सह–अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारण दर की छायाप्रति ।
3– कार्यालय भवन का नक्शा ।
4– मकानमालिक से एकरारनामा की प्रति ।
5– कार्यालय के व्यवहारार्थ आवश्यकता से अधिक स्थान नहीं लेने का प्रमाण–पत्र ।
6– इस आशय का प्रमाण कि कार्यालय के किसी भाग का उपयोग आवास के रूप में नहीं किया जा रहा है ।

प्रायः यह देखा जाता है कि उक्त के संबंध में प्रर्याप्त सूचना नहीं दिया जाता है । जैसे उचित किराया निर्धारण के प्रमाण–पत्र में यह अंकित नहीं होता है कि किराया दर किस तिथि से प्रभावित होगा, मकान मालिक से एकरारनामा की प्रति संलग्न नहीं रहता है तथा संलग्न कागजातों की छायाप्रति अभिप्रमाणित नहीं रहता है जिसके कारण बार–बार पत्राचार करना पड़ता है ।

ज्ञात हो कि किराया स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या–678/वि0 दिनांक 04.02.99 एवं कार्यालय के स्थान के संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा अपने परिपत्र सं0–909 दिनांक 17.02.1986 द्वारा कतिपय निदेश दिये गये हैं जिनका अनुपालन निश्चित रूप से कार्यालय के व्यवहारार्थ गैर सरकारी भवनों को किराया पर लिए जाने में किया जाएगा । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है ।

कृ0पृ0उ0.............

अतः अनुरोध है कि किराया स्वीकृति के प्रस्ताव विभाग को भेजने से पूर्व उपरोक्त नियमों/निदेशों का अनुपालन करते हुए हीं स्वीकृति प्रस्ताव भेजा जाय ।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

अभियंता प्रमुख

जितेन्द्र
19.4.12